छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 954/2001

डोलेश्वर, आत्मज श्री लक्ष्मण राम, आयु लगभग 31 वर्ष, ग्राम गोपालपुर, डाकघर सूरजपुर, तहसील सूरजपुर, जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

अपीलार्थी/अभियुक्त(कारावास में)

-विरुद्ध -

छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, थाना सूरजपुर जिला सरगुजा (छत्तीसगढ़)

प्रत्यर्थी

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन अपील का ज्ञापन</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील संख्या 954/2001

एकल न्यायपीठ- माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

डोलेश्वर

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

उपस्थित:-

श्री अभय तिवारी, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता।
श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त लोक अभियोजक, राज्य के पक्ष में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक निर्णय

(दिनांक 21 मार्च, 2006 को दिया गया)

यह अपील सूरजपुर, जिला सरगुजा के विद्वान छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय), श्री टी.एन.एच. पंचोली द्वारा सत्र प्रकरण संख्या 228/1996 में पारित निर्णय दिनांक 22-09-2001 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 एवं 376 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था, किंतु उसे केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत 7 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000/- रुपये के अर्थदंड और अर्थदंड के संदाय में व्यतिक्रम होने पर 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डादिष्ट किया गया था।

2. यह अविवादित है कि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के अधीन, डॉ. एस.एन. किंडो द्वारा दिनांक 20-02-1996 को तैयार की गई पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन, प्रदर्श पी-16 की सत्यता स्वीकार की थी।

3. अभियोजन पक्ष का कथानक संक्षिप्त रूप में यह है कि दिनांक 19-02-1996 को

लगभग सायं 5 बजे जब पीड़िता ग्राम गोपालपुर स्थित अपने घर में अकेली थी, तब अपीलार्थी, जो उसका देवर था, घर के भीतर आया। अपीलार्थी ने पीड़िता के हाथ पकड़ लिए और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दी। वहाँ हाथापाई हुई जिसमें पीड़िता की चूड़ियाँ टूट गईं। अपीलार्थी ने तत्पश्चात पीड़िता को भूमि पर पटक दिया और उसके ऊपर चढ़कर बलात्संग कारित किया और भाग गया।

4. सायं लगभग 6 बजे, जब पीड़िता की सास श्रीमती हिरोंदिया (अभि.सा.-2) और पीड़िता के पति शिवराम (अभि.सा.-4) घर लौटे, तब पीड़िता ने उन्हें घटना का वृत्तांत सुनाया। दिनांक 20-02-1996 को प्रातः 09.15 बजे थाना सूरजपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो घटनास्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित है। चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजे जाने पर डॉ. आई.डी. गुप्ता (अभि.सा.-5) ने पाया कि यद्यपि बाह्य चोट के कोई निशान नहीं थे, फिर भी पीड़िता दाहिने कोहनी के जोड़ और पीठ में दर्द की शिकायत कर रही थी। महिला सहायक शल्य चिकित्सक डॉ. एस.एन. किंडो द्वारा दिनांक 20-02-1996 को सायं 4.25 बजे पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। न तो बाह्य रूप से और न ही उसके निजी अंगों पर कोई चोट पाई गई और न ही बलपूर्वक संभोग का कोई साक्ष्य मिला। यह अभिमत दिया गया था कि पीड़िता यौन संभोग की अभ्यस्त थी और इसलिए बलात्संग के विषय में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती। पीड़िता की योनि पट्टिकाएँ तैयार की गईं और उन्हें मुहरबंद किया गया। अभियुक्त का परीक्षण भी डॉ. आई.डी. गुप्ता (अभि.सा.-5) द्वारा दिनांक 21-02-1996 को किया गया और उसे संभोग करने में सक्षम पाया गया। दिनांक 20-02-1996 को प्रदर्श पी-3 के माध्यम से पीड़िता का एक प्रयुक्त पेटीकोट जब्त किया गया और घटनास्थल से टूटी हुई चूड़ियाँ दिनांक 20-02-1996 को प्रदर्श पी-2 के माध्यम से जब्त की गईं। दिनांक 21-02-1996 को अपीलार्थी का एक पुराना प्रयुक्त अंतःवस्त्र भी प्रदर्श पी-6 के माध्यम से जब्त किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. पीड़िता की योनि पट्टिकाएँ, प्रयुक्त पेटीकोट और अपीलार्थी के अंतःवस्त्र को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। अभिमत दिनांक 30-04-1996 प्रदर्श पी-14 के अनुसार, उपर्युक्त सभी वस्तुओं पर वीर्य और मानव शुक्राणु की उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। यह पाया गया कि धब्बे सीरम संबंधी परीक्षण के लिए पर्याप्त नहीं थे। अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 451 एवं धारा 376 के अधीन

अभियोजन चलाया गया। अपीलार्थी ने अपराध से इनकार किया, निर्दोष होने का अभिवाक किया और चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। अभियोजन पक्ष ने कुल 7 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थी ने भी अपने बचाव में 6 साक्षियों का परीक्षण कराया। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 451 एवं 376 के अधीन दोषसिद्ध किया, किंतु उसे केवल धारा 376 के अंतर्गत दंडादेश सुनाया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी है कि अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-5 पीड़िता के परिसाक्ष्य की पुष्टि नहीं करती है और उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाती है। उन्होंने अपीलार्थी द्वारा बचाव में प्रस्तुत साक्ष्यों पर भी भरोसा करते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी को चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के साक्ष्य की कंडिका-12 का भी संदर्भ दिया गया और तर्क दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा द्वार बंद किए जाने के तुरंत बाद पीड़िता द्वारा शोर न मचाना उसके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है। दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष शुक्ला ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने अभिलेख का अवलोकन किया है। पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि जब वह घर में अकेली थी, तो उसने द्वार पर दस्तक सुनी। द्वार खोलने पर अपीलार्थी घर के भीतर आया। चूँकि वह अपीलार्थी का सम्मान करती थी, उसने उसे कुर्सी दी और जैसे ही वह आंगन की ओर बढ़ने वाली थी, अपीलार्थी ने द्वार बंद कर दिया और उसके हाथ पकड़ लिए, जिससे उसकी चूड़ियाँ टूट गईं। उसने आगे परिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी ने धमकी दी कि यदि वह चिल्लाई तो वह उसे मार डालेगा। अपीलार्थी ने तत्पश्चात मुख्य द्वार को अंदर से बंद कर दिया और उसे आंगन के भीतर ले गया और उसे भूमि पर पटक दिया और उसके साथ बलात्संग किया। उसके बाद अपीलार्थी भाग गया। पीड़िता के साक्ष्य की पूर्ण संपुष्टि उसकी सास श्रीमती हिरोंदिया (अभि.सा.-2) और उसके पति शिवराम (अभि.सा.-4) द्वारा की गई है, जिन्होंने अभिसाक्ष्य दिया है कि सायं लगभग 6 बजे घर लौटने के तुरंत बाद,

पीड़िता ने उन्हें घटना की जानकारी दी थी। पीड़िता के परिसाक्ष्य की पुष्टि डॉ. आई.डी. गुप्ता (अभि.सा.-5) द्वारा भी होती है, जिन्होंने पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण पर पाया कि वह दाहिने कोहनी के जोड़ और पीठ में दर्द की शिकायत कर रही थी। मैंने पीड़िता के साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया है। मैं पाता हूँ कि यह विश्वास उत्पन्न करता है। जहाँ तक चुनावी प्रतिद्वंद्विता के कारण झूठे आरोप लगाने संबंधी अपीलार्थी के बचाव का प्रश्न है, पीड़िता के पति शिवराम (अभि.सा.-4) से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। मैंने अपीलार्थी द्वारा बचाव में परीक्षित साक्षियों के परिसाक्ष्य का भी परिशीलन किया है और मेरा यह सुविचारित मत है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उसे किसी भी प्रकार से सहायता नहीं पहुँचाते हैं। पीड़िता प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी है। जहाँ तक उसके निजी अंगों पर किसी बाह्य चोट की अनुपस्थिति का प्रश्न है, वह भी अपीलार्थी को किसी प्रकार सहायता नहीं देता है, क्योंकि पीड़िता एक विवाहित महिला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. कंडिका-12 में पीड़िता के परिसाक्ष्य की अविश्वसनीयता से संबंधित तर्कों को केवल अस्वीकार किए जाने के लिए ही कहा जाना चाहिए। चूँकि अपीलार्थी पीड़िता का संबंधी था, उसने अपीलार्थी को घर के भीतर आने दिया। पीड़िता को अपीलार्थी के दुर्भावनापूर्ण आशय के बारे में कोई आभास नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त, पीड़िता का यह परिसाक्ष्य कि उसने शोर नहीं मचाया क्योंकि अपीलार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, विश्वसनीय है।

9. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब से संबंधित तर्कों का प्रश्न है, वे अस्वीकार्य हैं। पीड़िता ने घटना की सूचना तुरंत सायं 6 बजे दी जब उसके पति शिवराम (अभि.सा.-4) और सास श्रीमती हिरोंदिया (अभि.सा.-2) उसी दिन घर लौटे। उनके साक्ष्य से यह भी ज्ञात होता है कि पीड़िता के पति और सास ने तुरंत गाँव के गणमान्य व्यक्तियों और कोटवार को घटना की सूचना दी थी, किंतु अपीलार्थी घटना के बाद गाँव से फरार हो गया था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अगले दिन प्रातः 09.15 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित अभिमत है कि पीड़िता का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है और न केवल श्रीमती हिरोंदिया (अभि.सा.-2) एवं शिवराम (अभि.सा.-4) द्वारा, अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 और डॉ.

आई.डी. गुप्ता (अभि.सा.-5) के चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा भी पूर्णतः पुष्ट है। जहाँ तक विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-14 का प्रश्न है, इस तथ्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि पीड़िता एक विवाहित महिला है, प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के अगले दिन दर्ज कराई गई थी और कोई सीरम संबंधी परीक्षण यह दिखाने के लिए नहीं किया गया था कि योनि पट्टिका पर मिले वीर्य और मानव शुक्राणु अपीलार्थी के वीर्य से मेल खाते थे।

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात, मेरा यह सुविचारित मत है कि विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अधीन सुनाया गए दंडादेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

12. परिणामतः, इस अपील में कोई सार नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

सही/-
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**